भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 189*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कमी

189* श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों, विशेष रूप से डीएपी की कमी का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उनकी मांग और आपूर्ति को दर्शाते हुए राज्य-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2019 से घरेलू उर्वरक उत्पादन की तुलना में डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों के आयात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'उर्वरकों की कमी' के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 189* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) और (ख): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में, चल रहे खरीफ मौसम 2026 अर्थात 01.04.2026 से 27.07.2026 के दौरान देश में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

अखिल भारत					
चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.26 से 27.07.2026 तक) के दौरान उर्वरक उपलब्धता की स्थिति					
					आंकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	**उत्पाद**	**यथानुपातिक आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**27.07.2026 तक अंतिम स्टॉक**
1	**यूरिया**	120.16	174.47	108.95	65.52
2	**डीएपी**	34.67	42.36	25.84	16.52
3	**एमओपी**	10.97	14.21	5.72	8.51
4	**एनपीकेएस**	52.89	88.01	43.70	44.31

इसके अलावा, देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित एसएसपी का 21.23 एलएमटी का अंतिम स्टॉक भी है, जिसका उपयोग मिट्टी को फॉस्फेटयुक्त या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डीएपी के विकल्प के रूप में किया जाता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): वित्त वर्ष 2019-20 से देश में डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों के आयात के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2019-20 से देश में डीएपी, एमओपी और एनपीके का आयात			
			आंकड़े एलएमटी में
वर्ष	**डीएपी**	**एमओपी**	**एनपीके**
2019-20	48.7	36.7	7.46
2020-21	48.82	42.27	13.9
2021-22	54.62	24.6	11.7
2022-23	65.83	18.66	27.52
2023-24	55.67	28.69	22.17
2024-25	45.69	35.41	22.72
2025-26	61.94	29	37.08
2026-27 (जून-26 तक)	7.11	6.09	4.91

वित्त वर्ष 2019-20 से देश में डीएपी और एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2019-20 से देश में डीएपी और एनपीके का उत्पादन		
		आंकड़े एलएमटी में
वर्ष	**डीएपी**	**एनपीके**
2019-20	45.5	93.34
2020-21	37.74	100.54
2021-22	42.22	89.67
2022-23	43.47	100.4
2023-24	42.93	101.85
2024-25	37.69	121.05
2025-26	39.01	128.37
2026-27 (जून-26 तक)	9.84	20.76
स्रोत : dbtfert.nic.in		
एमओपी का उत्पादन देश में नहीं होता		
एनपीके में मिश्रित उर्वरक और अमोनियम सल्फ़ेट शामिल हैं		

(घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर नामित पीएसयू के जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन

(एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनो परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता में कमी करने तथा इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) उर्वरक विभाग ने एमआरपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 18.01.2024 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ii) अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत मान्यता दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।

(iii) एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 की 22 ग्रेड से बढ़कर अब 28 ग्रेड हो गई है।

(iv) मृदा को फॉस्फेट या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर मालभाड़ा सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.189* के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस			एसएसपी		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02	1.86	2.09	1.76
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23	1.73	1.32	0.93
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39	2.00	1.76	1.14
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30	3.00	3.41	2.35
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97	2.00	1.95	1.41
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44	2.50	1.91	1.32
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32	0.04	0.03	0.02
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33	0.12	0.08	0.06
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84	1.32	0.80	0.56
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26	0.04	0.03	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41	12.41	13.88	10.75
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04	12.50	13.63	9.15
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.15	0.08	0.06
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42	0.30	0.35	0.26
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07	0.01	0.01	0.00
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73	2.70	1.99	1.34
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08	7.15	6.48	4.99
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94	1.40	0.85	0.68
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62	1.60	0.70	0.59
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02	0.45	0.33	0.15
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20	0.17	0.17	0.11
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93	6.50	6.57	4.31
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20	4.84	5.04	3.46
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**27.62**	**22.74**	**16.45**	**126.31**	**156.51**	**116.80**	**65.00**	**63.49**	**45.44**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस			एसएसपी		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78	2.00	2.30	1.85
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48	1.95	1.44	0.99
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04	2.00	2.40	1.73
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34	2.80	3.92	2.37
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35	2.05	2.17	1.54
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03	3.00	1.78	1.16
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32	0.04	0.02	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01	0.12	0.03	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85	0.13	0.08	0.06
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90	1.45	1.02	0.73
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26	0.05	0.04	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77	13.00	15.77	11.78
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79	13.50	13.06	8.40
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.15	0.08	0.07
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	0.02	0.02
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28	0.40	0.51	0.40
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08	0.01	0.01	0.01
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41	3.00	2.31	1.43
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55	9.00	7.10	5.11
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49	1.92	1.14	0.89
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97	1.60	0.79	0.61
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.37	0.34	0.17
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21	0.17	0.20	0.12
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50	8.00	8.23	5.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24	5.80	6.08	4.29
	अखिल भारत	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**22.21**	**30.85**	**22.02**	**151.29**	**183.98**	**149.72**	**72.61**	**70.85**	**49.28**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस			एसएसपी		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45	1.70	2.22	1.82	15.80	19.06	15.59	1.94	2.59	2.12
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72	0.57	0.78	0.55	0.58	0.55	0.40	1.36	1.68	1.15
5	बिहार	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57	2.00	2.23	1.80	6.00	8.01	5.89	1.75	2.87	1.84
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25	1.10	1.33	0.82	2.40	4.34	2.57	2.70	4.89	2.97
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32	1.09	1.16	0.95	7.45	10.18	8.28	2.05	2.59	1.92
13	हरियाणा	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46	0.58	0.67	0.44	1.57	1.10	0.82	2.13	1.96	1.29
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.41	0.37	0.28	0.03	0.03	0.02
15	जम्मू और कश्मीर	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43	0.21	0.35	0.21	0.03	0.06	0.02	0.06	0.08	0.02
16	झारखंड	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93	0.07	0.07	0.05	0.65	1.02	0.76	0.08	0.10	0.06
17	कर्नाटक	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09	2.27	3.25	2.46	17.10	27.20	21.35	0.86	1.42	1.02
18	केरल	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25	0.06	0.05	0.05
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47	1.50	1.51	1.08	16.50	14.70	11.16	13.00	15.88	12.53
21	महाराष्ट्र	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81	2.70	3.37	2.55	30.00	41.95	29.63	11.50	14.78	9.70
22	मणिपुर	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.10	0.09	0.06
23	मेघालय	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78	0.85	1.11	0.74	3.30	4.39	3.57	0.43	0.48	0.38
27	पुदुचेरी	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.11	0.08	0.01	0.01	0.01
28	पंजाब	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66	1.10	1.02	0.61	2.00	1.67	1.29	2.70	2.60	1.69
29	राजस्थान	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56	9.00	7.49	5.38
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89	2.60	2.35	2.02	9.25	11.08	8.73	1.69	1.23	0.96
32	तेलंगाना	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38	1.20	1.38	1.04	17.00	18.44	14.74	1.60	0.90	0.67
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03	0.23	0.33	0.19
34	उत्तराखंड	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48	0.07	0.09	0.04	0.35	0.21	0.17	0.17	0.27	0.17
35	उत्तर प्रदेश	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25	2.75	2.89	1.91	12.50	14.80	10.01	6.50	10.09	6.47
36	पश्चिम बंगाल	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65	3.20	3.35	2.34	11.10	14.80	11.14	3.75	6.38	4.58
	अखिल भारत	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**	**26.82**	**30.58**	**22.56**	**158.49**	**198.97**	**150.37**	**63.77**	**78.83**	**55.29**